रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266605
CG-DL-E-03102025-266605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4378]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947
No. 4378]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सं.62/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4503(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 की उपधारा (34) के साथ पठित धारा 3, धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा -

(क) विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) के राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र-यात्री (एनसीटीसी-पैक्स) के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक (जिसे इसके बाद उक्त अधिकारी कहा जाएगा) को, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क अधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 के तहत यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना प्राप्त करने और संसाधित करने के उद्देश्य से पूरे भारत पर प्रयोग करने योग्य क्षेत्राधिकार के साथ प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त की सभी शक्तियां प्रदान करता है; और

(ख) उक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 30क और 41क में निर्दिष्ट कार्यों को उचित अधिकारी के रूप में निष्पादित करने के लिए नियुक्त करता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं. 450/43/2025-सीमा शुल्क-IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

No.62/2025-Customs (N.T)

S.O. 4503(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 4 and sub-sections (1), (4) and (5) of section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby -

(a) appoints the Principal Additional Director General or the Additional Director General of the National Customs Targeting Centre-Passenger (NCTC-Pax) of the Directorate General of Analytics and Risk Management (DGARM) (hereinafter referred as said officer), to be an officer of customs as Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, and invest them with all the powers of Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, with the jurisdiction exercisable over the whole of India, for the purpose of receiving and processing the passenger name record information under the Passenger Name Record Information Regulations, 2022; and

(b) assigns the said officer to perform the functions specified in sections 30A and 41A of the said Act, as the proper officer.

2. This notification shall come in force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 450/43/2025-Cus-IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सं.63/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4504(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1क), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना [सं. 26/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)] का.आ. संख्या 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में तालिका में-

(क) क्रम संख्या 6 के सामने, कॉलम (3) में, मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)
"(vi) धारा 110 की उप-धारा (1), (3) और (5)";

(ख) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में, मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)
“(xiv) धारा 110 की उपधारा (1), (3) और (5)”.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[सं. 450/43/2025-सीमा शुल्क-IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना [सं. 26/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)] जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1601(अ), दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के तहत प्रकाशित शुद्धि पत्र के साथ पठित का.आ.सं. 1542(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3186 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2022 और का.आ. 5773 (अ), दिनांक 10 दिसंबर , 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

No.63/2025-Customs (N.T)

S.O. 4504(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) [No. 26/2022-Customs (N.T.)] number S.O. 1542 (E), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table-

(a) against serial number 6, in column (3), for item (vi) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(3)
“(vi) Sub -sections (1), (3) and (5) of Section 110”;

(b) against serial number 7, in column (3), for item (xiv) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(3)
“(xiv) Sub -sections (1), (3) and (5) of Section 110”.

2. This notification shall come in force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 450/43/2025-Cus-IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note : The principal notification [No. 26/2022-Customs (N.T.)] was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022, read with corrigendum published *vide* notification number S.O. 1601 (E), dated the 4th April, 2022 and was subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3186(E), dated the 14th July, 2022 and S.O. 5773 (E), dated the 10th December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.03 11:50:23 +05'30'